

1879
2021

आवेदन पत्र को संकलन में जोड़ा जायेगा। रिपोर्ट पट्टाशी एलन/आइएएलआरओ का कराना
 श्रीमान, प्रार्थी/पत्रावली पर उत्तुर् दस्तावेज, शपथपत्र आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र
 परिवार रेशनकार्ड को आधार पर प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।
 श्रीमान, प्रार्थी का सही नाम बनारसी पुत्री वीरवल है जो कि शुद्ध
 किया जाना उचित होगा।
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी 2/12/21

क्रमांक - राजस्व/2020/808

दिनांक - 03.12.21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेक है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने जाने की अभिरक्षा की जाती है/की जाती है।

TDR पत्रावली
 प्रार्थी का सही नाम मया
 है, स्पष्ट करे 24/12/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
तहसीलदार गुढा गौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझार (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 3/12/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	दीपपुर	2075-78	175	झुंझी पुत्री वीरवल	बनारसी पुत्री वीरवल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 3/12/2021

क :- राजस्व/2020/1824-25
 लेपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी